मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल,

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अध्याय 5 अन्तर्गत,म.प्र.शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग,मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्र.F.6-12/98/A-XI, दिनांक 10.01.2007 से एवं माध्यस्थम और सूलह अधिनियम 1996 (1996 का संख्यांक 26) के सुसंगत कृत्यों के पालन हेतु गठित।)

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश।

विन्ध्याचल भवन, भोपाल।

जावक क्रमांक 139-42
भोपाल, दिनांक 27/02/2021

प्रकरण क्रमांक एम.एस.ई.एफ.सी/605/2015

आवेदकः—

M/s Amit Enterprises Unit No..2,
12-C/FA, Scheme No. 94,
Above Kasliwal Honda,
Ring Road,
Near Pipliyahana Square,
Indore – 452016 (M.P.)

विरूद्ध

अनावेदकः—

1. M/s Eurolife healthcare Pv. Ltd.,
69-A, Mittal Chambers,
Nariman Point,
Mumbai - 400021
2. M/s Eurolife healthcare Pv. Ltd.,
Khasra No. 520,
Bhagwanpur,
Roorkee – 247667
3. M/s Eurolife healthcare Pv. Ltd.,
Khasra No. 242,
Bhagwanpur, Roorkee – 247667

अन्तिम सुनवाई दिनांक 08.12.2020

माध्यस्थम आदेश दिनांक 27.1.1.2020

आवेदक ने दिनांक 15.04.2015 को इस काउन्सिल के समक्ष, उपरोक्त अनावेदकगणों के विरूद्ध मूलधन राशि रू. 13,15,118/— एवं दिनांक 31.03.2015 तक की संगणित ब्याज राशि रू. 1,58,746/— कुल बकाया राशि रू. 14,73,864/— का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया है :—

1. अनावेदक द्वारा जिलेटिन केप्सूल्स के प्रदाय हेतु आवेदक को आदेश दिनांक 19.06.2014 से 162 लाख जिलेटिन केप्सूल्स एवं आदेश दिनांक 31.07.2014 से 63 लाख जिलेटिन केप्सूल्स के प्रदाय हेतु आदेश जारी किये गये, जिसके अनुक्रम में आवेदक द्वारा अनावेदक को दिनांक 27.07.2014 से दिनांक 06.09.2014 तक, तीन इन्वाईसेस के माध्यम से कुल राशि रू. 13,15,118/— जिलेटिन केप्सूल्स का प्रदाय किया गया है।

2. आवेदक का कथन है कि उत्पाद में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं था। अतः क्रेता द्वारा प्रदायित सामग्री/सेवा के विरुद्ध कोई आपत्ति/शिकायत दर्ज नहीं करायी गयी है।

3 आवेदक द्वारा प्रदायित जिलेटिन केप्सूल्स अनावेदक को बिल्टी के माध्यम से प्रेषित किये गये है, जो अनावेदक को दिनांक 30.07.2014, 28.08.2014 एवं 09.09.2014 को प्राप्त हुए है, जिसकी स्वीकारेक्ति एवं प्राप्ति की पुष्टि बिल्टी पर अनावेदक द्वारा किये गये हस्ताक्षर एवं सील से होती है।

4. आवेदक द्वारा अनावेदक को प्रदायित सामग्री की कुल बकाया राशि रू. 13,15,118/— के भुगतान हेतु पत्र/नोटिस भेजे गये किन्तु अनावेदक द्वारा आवेदक से प्राप्त की गई सामग्री का भुगतान नही किया गया है।

5. अतः आवेदक द्वारा अनावेदक पर बकाया मूलधन राशी रूपये 13,15,118/— (रूपये तेरह लाख पन्द्रह हजार एक सौ अठारह मात्र) एवं इस पर 31.03.2015 तक की ब्याज राशि रूपये 1,58,746/— (रूपये एक लाख अट्ठावन हजार सात सौ छियालिस मात्र), कुल राशि रूपये रूपये 14,73,864/— (रूपये चौदह लाख

.....2

तिहत्तर हजार आठ सौ चौसठ मात्र) एवं भुगतान दिनांक तक का ब्याज दिलवाने हेतु दावा आवेदन पत्र दिनांक 15.04.2015 को प्रस्तुत किया गया है।

काउन्सिल के नोटिस क्रमांक 997–1000 दिनांक 15.05.2015, से आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा आवेदन पत्र, अनावेदक को भेजकर 15 दिवस में उत्तर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रकरण सुनवाई दिनांक 30.05.2015, 08.10.2015, 27.04.2016, 03.11.2016, 25.01.2017, 19.04.2017, 21.02.2018, 11.09.2019, 23.06.2019 एवं दिनांक 08.12.2020 को नियत कर, उभयपक्षों को सुनवाई के सूचना पत्र/ई–मेल जारी किये गये।

अन्तिम सुनवाई दिनांक 08.12.2020 को आवेदक मेसर्स अमित इन्टरप्राईजेस, इन्दौर अनुपस्थित रहे एवं अनावेदक मेसर्स यूरोलाईफ हेल्थ केयर प्रा. लि. मुबई की ओर से श्री मुकेश राजपुत, अधिवक्ता प्रत्यक्ष उपस्थित हुए।

अनावेदक द्वारा काउंसिल को अवगत कराया गया कि आवेदक द्वारा प्रदाय कैपसूल सामग्री की गुणवत्ता तकनीकी रूप से ठीक नहीं थी।

सुनवाई उपरांत काउंसिल द्वारा प्रकरण गुण–दोषों के आधार पर खारिज किये जाने हेतु आदेशित किया गया ।

काउन्सिल ने अभिलेख के परीक्षण में पाया कि सुनवाई दिनांक 21.02.2018 एवं 11.02.2019 में आवेदक अनुपस्थित रहे तथा अनावेदक उपस्थित रहे। प्रकरण अन्तिम सुनवाई दिनांक 21.10.2018 को नियत किया गया था। इसके बावजूद भी आवेदक द्वारा अपने दावे के समर्थन में सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये। अनावेदक द्वारा गुणवत्ता के संबंध में आपत्ति ली गई जिसका समाधान कारक उत्तर आवेदक देने में असफल रहा है। अतः दावा निरस्त किये जाने योग्य है।

अतएव, "म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल नियम 2017" के नियम–9 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आवेदक M/s Amit Enterprises Unit No..2, 12-C/FA, Scheme No. 94, Above Kasliwal Honda, Ring Road, Near Pipliyahana Square, Indore – 452016 (M.P.) द्वारा प्रस्तुत दावा आवेदन पत्र दिनांक 15.04.2015 एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

प्रकरण में पारित आदेश की प्रति निःशुल्क उभयपक्षों को प्रदान की जावेगी। अभिप्रमाणित प्रति के लिए नियमानुसार सचिव, "मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद" भोपाल को आवेदन कर, प्रति पृष्ठ हेतु रू. 2/– के मान से लेखा शाखा में राशि जमा करना आवश्यक होगा।

उभयपक्ष अपना–अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

(विवेक पोरवाल)
उद्योग आयुक्त एवं
अध्यक्ष,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल।

(जी. एस. सरमा)
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल एवं
सहायक महाप्रबंधक,
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भोपाल।

(सी. मिंज)
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल एवं
सहायक प्रबंधक,
एमएसएमई विकास संस्थान, भोपाल।